



NCCT CO-OP **NEWS BULLETIN**



Date: 13.02.2024

Sr No	Date	Publication	Edition	Page no.
1.	13-02-2024	Vaishali Express	Patna	4
2.	13-02-2024	Nai Soch Express	Patna	7

Publication:	Vaishali Express, Pg 4	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 13, 2024		

सहकारिता मंत्रालय ने 2023 में 36,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया

पटना। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सक्रिय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओ से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 247 उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सक्रियता से निवारण कर रहा है और मामलों का त्वरित गति से निपटान कर रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर 2023 महीने की सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (ग्राइ) के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों (जहां 500 से अधिक कुल शिकायतें प्राप्त होती हैं)। में पहले स्थान पर रखा गया है। साथ ही सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में न्यूनतम निपटान समय के साथ (2 दिन) सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहा। भारत सरकार ने सीपीग्राम्स को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार किया है।


Publication:	Nai Soch Express_pg 07	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 10, 2024		

सेवा केंद्रों का उपयोग करके एक समावेशी प्रणाली विकसित करना शामिल है।

सहकारिता मंत्रालय ने 2023 में 36,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया

पटना। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सिक्रय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सचित किया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 247 उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सिक्रयता से निवारण कर रहा है और मामलों का त्वरित गति से निपटान कर रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर 2023 महीने की सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (ग्राइ) के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों (जहां 500 से अधिक कुल शिकायतें प्राप्त होती हैं)। में पहले स्थान पर रखा गया है। साथ ही सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में न्यनतम निपटान समय के साथ (2 दिन) सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहा। भारत सरकार ने सीपीग्राम्स को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार किया है। जैसे हितधारकों के लिए निगरानी डैशबोर्ड शिकायतों के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करना, शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए सेवोत्तम योजना के तहत हितधारकों की क्षमता निर्माण करना, अंतिम छोर तक शिकायतों की ऑटो-रूटिंग के लिए सीपीग्राम्स संस्करण 7.0 का सार्वभौमिकरण, सीपीग्राम्स के साथ राज्य पोर्टलों का एकीकरण, फीडबैक कॉल का संचालन, सामान्य

LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES





NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING

(AN AUTONOMOUS SOCIETY PROMOTED BY MINISTRY OF COOPERATION, GOVERNMENT OF INDIA) 3, Siri Institutional Area (3rd Floor), August Kranti Marg, New Delhi-110016





011-41096510 🔯 secy-ncct@gov.in



www.ncct.ac.in